

प्रेस नोट

15.10.2020

अवैध तमंचा व प्रतिबन्धित कारतूस के साथ एक शांतिर अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 14.10.2020 को थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान चेलाराम का पुरा के पास से अनुज सिंह पुत्र रघुराज सिंह निवासी कोरवाँ कोपा थाना कोपागंज मऊ के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा व एक प्रतिबन्धित कारतूस 303 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 547/20 धारा 3/7/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 24 व्यक्ति गिरफ्तार—

आज दिनांक 15.10.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान शांति भंग की आशंका में थाना **घोसी** पुलिस द्वारा गोपी निवासी सोहिलपुर, बबलु, सलीम, कमरान, सद्दाम निवासीगण तिघरा थाना घोसी, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा कल्लन, संजय निवासीगण मऊकुबेर थाना हलधरपुर, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा पवन, शैलेन्द्र निवासीगण भावरकोल थाना कोपागंज, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा दानिस, शाकिर, हारून, सईद निवासीगण रघुनाथपुरा थाना कोतवाली, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा उमेश, रमेश निवासीगण भेलउर थाना मधुबन, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा पारस निवासी रानीपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा उमेश, प्रदीप, महेन्द्र, चन्द्रभान निवासी दरौरा थाना रानीपुर, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा वृजवासी निवासी अलीपुर, इन्द्रजीत, पंकज निवासीगण बैजापुर, सहतीराम निवासी तरवा थाना सरायलखंसी मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।